

8/10

श्री गणेशाय नमः ।
 श्री गणेशाय नमः ।
 श्री गणेशाय नमः ।
 श्री गणेशाय नमः ।
 श्री गणेशाय नमः ।

श्री गणेशाय नमः ।
 श्री गणेशाय नमः ।
 श्री गणेशाय नमः ।



प्र.स.:- 09/2023

(GCMS 2023/7)

दायर दिनांक 25.05.2023

निर्णय दिनांक :- 08.05.2024

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, लवाण जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी का नाम :-

श्री बद्रीनारायण मीना (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या :-

09/2023

(GCMS 2023/7)

प्रकरण दायर दिनांक :-

25.05.2023

1. अशोक पुत्र कन्हैयालाल
2. पप्पू पुत्र कन्हैयालाल
3. मनोज पुत्र कन्हैयालाल

समस्त जाति ब्राहमण निवासी ग्राम गुढा कीरतवास तहसील लवाण जिला दौसा।

(प्रार्थीगण)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील लवाण जिला दौसा राजस्थान।
2. शाखा प्रबन्धक, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा लवाण, तहसील लवाण जिला दौसा राजस्थान।

(अप्रार्थीगण)


प्रार्थना पत्र धारा 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट बाबत करवाये जाने पत्थरगढी

- उपस्थिति:-
1. श्री सुरेश चन्द शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से
 2. पैरोकार सरकार उपस्थित
 3. अप्रार्थी संख्या-2 एवं अधिवक्ता अनुपस्थित।

:: आदेश ::

दिनांक : 08.05.2024

प्रार्थीगणों की ओर से यह प्रार्थना पत्र इस आशय का दायर किया है कि प्रार्थीगणों की निजी खातेदारी भूमि ग्राम गुढा कीरतवास तहसील लवाण की जमाबंदी संवत् 2075-2078 के


उप जिला कलक्टर
लवाण

प्र.स.- 09/2023

(GCMS 2023/7)

दायर दिनांक 25.05.2023

निर्णय दिनांक :- 08.05.2024

खाता संख्या 130 खसरा नम्बर 424 रकबा 0.46 है0, खसरा नम्बर 93/2 रकबा 0.16 है0, खसरा नम्बर 95/4 रकबा 0.31 है0 कुल किता-3 कुल रकबा 0.93 हैक्टर प्रार्थीगणों की निजी खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि वाके ग्राम गुढा कीरतवास तहसील लवाण में स्थित है। प्रार्थीगण उक्त भूमि का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। पत्थरगढी करवायी जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद तामील उपस्थित नहीं। इस कारण एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये।

बहस प्रार्थीगण सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया। आराजी खसरा नम्बर 424 रकबा 0.46 है0, खसरा नम्बर 93/2 रकबा 0.16 है0, खसरा नम्बर 95/4 रकबा 0.31 है0 कुल किता-3 कुल रकबा 0.93 हैक्टर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी की है। इस बाबत तहसीलदार लवाण से रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार लवाण ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 30.06.2023 में यह अंकन किया कि खसरा नम्बर 424 रकबा 0.46 है0, खसरा नम्बर 93/2 रकबा 0.16 है0, खसरा नम्बर 95/4 रकबा 0.31 है0 कुल किता-3 कुल रकबा 0.93 हैक्टर का पूर्व में सीमाज्ञान किया जा चुका है। हमारे विनम्र अभिमत में उक्त आराजीयात का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी किया जाना विधि संगत है।

तहसीलदार लवाण को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त आराजी पर अडोस-पडोस के खेतों में फसल सरसब्ज न होने पर अर्थात पडोस के खेत खाली होने पर नियमानुसार सीमांकन कर पत्थरगढी करावे। पत्थरगढी का व्यय प्रार्थीगण स्वयं वहन करेगा। पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

बद्रीनारायण मीना (आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी
उप जिला कलेक्टर
लवाण

आदेश आज दिनांक 08.05.2024 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उप जिला कलेक्टर
लवाण